

Government of Bihar
Energy Department

Notification

Letter No.: प्र02/बोर्ड विविध-25/2011- 15

Patna, dated - 01.09.2026

Under State Business Reforms Action Plan (SBRAP) 2026, **Reform No. 58** provides for the following :-

Automate Discom NOC based on transformer load/capacity benchmarks, to be computed in the system.

In compliance to **Reform No. 58** under SBRAP-2026, Bihar DISCOMs (NBPDCCL & SBPDCL) have implemented a streamlined, automated process for issuance of NOC for new electricity connections for load up to 150 KW based on transformer load/capacity benchmarks as circulated by Bihar DISCOMs vide Notification No. 912 dated 07.05.2026 in view of Case No 4/2025 before Honble BERC.

This certificate is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-

(Sudha Gupta)
Joint Secretary

Memo No- प्र02/बोर्ड विविध-25/2011- 4482 Patna, dated- 01.09.2026

Copy forwarded to Officer-in-Charge, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication of Bihar Gazette (through IT Manager, Energy Department, Bihar, Patna). He is requested to kindly provide 200 (two hundred) copies of the published gazette to Energy Department, Bihar, Patna


Joint Secretary

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०:—प्र०२/बोर्ड विविध-२५/११- 15

/पटना, दिनांक:— 01.09.2026

राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना (SBRAP) 2026 के अंतर्गत सुधार संख्या-58 में निम्नलिखित का प्रावधान है:—

“ट्रांसफॉर्मर भार/क्षमता बेंचमार्क के आधार पर DISCOM के NOC को स्वचालित (Automate) करना, जिसकी गणना प्रणाली में की जाएगी।”

SBRAP 2026 के अंतर्गत सुधार संख्या-58 के अनुपालन में, बिहार की वितरण कंपनियों (एन०बी०पी०डी०सी०एल० एवं एस०बी०पी०डी०सी०एल०) ने 150 KW तक के भार के लिए नए विद्युत संबंध हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने हेतु एक सुव्यवस्थित, स्वचालित प्रक्रिया लागू की है। यह प्रक्रिया माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) के वाद संख्या-4/2025 के परिप्रेक्ष्य में बिहार की विद्युत वितरण कंपनियों के अधिसूचना संख्या-912 दिनांक-07.05.2026 द्वारा परिचालित किया गया है, जो ट्रांसफॉर्मर भार/क्षमता बेंचमार्क पर आधारित है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(सुधा गुप्ता),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:—प्र०२/बोर्ड विविध-२५/११- 4482

/पटना, दिनांक:— 01.09.2026

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना का उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के संयुक्त सचिव।